



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

CIN U40109RJ2000SG016486

विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक/एमडी/ज.वि.वि.नि./जनसम्पर्क/विज्ञापन/प्रे. 279 दिनांक 17.10.14

परिपत्र


विषय: जयपुर विद्युत वितरण निगम के वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(2) गृह/सम्पर्क/सचि./2002/ दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के अनुसार अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब समस्त राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम, सहकारी संस्थाएं एवं समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं के वर्गीकृत विज्ञापन "राजस्थान संवाद" के माध्यम से ही जारी किये जावेंगे। यह प्रक्रिया दिनांक 10.10.2014 से प्रभावी है।

इस क्रम में "राजस्थान संवाद" द्वारा जारी परिपत्र के संदर्भ में निर्देश दिये जाते हैं कि जयपुर विद्युत वितरण निगम के कार्यालयों द्वारा समाचार पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाशित कराये जाने वाले समस्त प्रकार के विज्ञापन प्रकाशन हेतु नियत तिथि से कम से कम 9 दिवस पूर्व जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर को उपलब्ध करा दिये जावे, जिससे इन विज्ञापनों को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु "राजस्थान संवाद" को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रेषित किया जा सके।

समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिये विज्ञापन प्रकाशन की विषयवस्तु का विवरण संक्षिप्त होना चाहिये। समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापन की अनुमोदित विषयवस्तु तीन प्रतियों में तथा सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित की जानी चाहिये। विज्ञापन की विषयवस्तु प्रेषित करते समय निगम द्वारा जारी पर्चेज मैनुअल 1999 में किये गये संशोधन के आदेश क्रमांक 1728 दिनांक 06.12.2007 एवं ई-टेण्डरिंग के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।


प्रासंगिक परिपत्र में निर्देश दिये गये हैं कि "राजस्थान संवाद" सम्बन्धित संस्था को भुगतान हेतु बिल प्रेषित करेगी। बिल प्राप्त होने के अधिकतम 10 दिवस के अंदर सम्बन्धित कार्यालय द्वारा बिल की समस्त राशि का भुगतान "राजस्थान संवाद" को किया जायेगा। समाचार पत्र/पत्रिका को भुगतान "राजस्थान संवाद" द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि विज्ञापन प्रकाशन के लिये भेजे जाने के साथ ही विज्ञापन भेजने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा विज्ञापन प्रकाशन के लिये आवश्यक बजट प्रावधान का ध्यान रखा जाये तथा बिल प्राप्त होते ही अधिकतम 10 दिवस के अन्दर "राजस्थान संवाद" सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर को भुगतान सुनिश्चित करें।


(बी.के.दोसी)
प्रबन्ध निदेशक

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता () जयपुर डिस्कॉम, _____
2. मुख्य लेखाधिकारी () जयपुर डिस्कॉम, _____
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
4. अधीक्षण अभियन्ता () जयपुर डिस्कॉम, _____
5. निजी सहायक, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/सचिव (प्रशा.), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक (तकनीकी/वित्त/पावर ट्रेडिंग), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।


जनसम्पर्क अधिकारी

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक : प.6 (2)गृह / सम्पर्क / सचि. / 2002 /

जयपुर, दिनांक : 30 SEP 20

समस्त,

अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव

शासन सचिव / विभागाध्यक्ष


अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक / आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निगम / बोर्ड / स्वायत्तशासी संस्थाएं

परिपत्र

विषय : राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम, सहकारी संस्थाएं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने के संबंध में।

1. राजस्थान विज्ञापन नीति-2001 के खण्ड-3 में यह प्रावधान है कि राजकीय उपक्रम कम्पनी, कृषि उपज मण्डी, विपणन बोर्ड, शीर्ष सहकारी संस्था, बोर्ड, पंचायती राज संस्थाएँ, अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के विज्ञापन राजस्थान विज्ञापन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं के स्तर पर जारी किये जा सकेंगे या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट प्रक्रिया / एजेन्सी के माध्यम से जारी किये जा सकेंगे।
2. राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक 1 दिसम्बर, 2002 के पश्चात् से समस्त राजकीय विभागों / निगम / बोर्ड एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के समस्त प्रकार के सजावटी विज्ञापन केवल राजस्थान संवाद के माध्यम से ही जारी किये जायेंगे।
3. बिन्दू संख्या दो में वर्णित निर्णय से समस्त सम्बन्धितों को मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 15.11.2002 में निर्देशित कर समसंख्यक पत्र दिनांक 25.11.2002 से बैठक कार्यवाही विवरण भिजवा दिया गया था। समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20.1.2003 से पुनः निर्देश जारी किये गये।
4. उपरोक्त वर्णित निर्णय एवं निर्देशों की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त राजकीय उपक्रम, निगम, बोर्ड, शीर्ष सहकारी संस्थाएं, नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद एवं शीर्ष से जिला स्तर तक की समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं के वर्गीकृत विज्ञापन भी अब राजस्थान संवाद के माध्यम से ही जारी किये जावेंगे।
5. यह प्रक्रिया दिनांक 10.10.2014 से प्रभावी होगी।
6. राज्य सरकार के निर्णय की पालना में उपरोक्त बिन्दू संख्या 4 में वर्णित समस्त संस्थाओं के वर्गीकृत विज्ञापन उनके द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर, 2014 तक ही जारी किये जायेंगे एवं तत्पश्चात् समस्त प्रकार के वर्गीकृत विज्ञापन राजस्थान संवाद के माध्यम से ही जारी किये जा सकेंगे।
7. उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में राजस्थान संवाद के माध्यम से जारी किये जाने वाले वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के क्रम में पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे।


(राजीव स्वरूप)

प्रमुख शासन सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

MD JVVNL JAIPUR

Chairman
DISCOMS

PRO

MD
JVVNL
JAIPUR

PRO
RRNO
176
13-10-14

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक : प.6 (2)गृह/सम्पर्क/सचि./2002/

जयपुर, दिनांक : 30 SEP

समस्त,
अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव
शासन सचिव/विभागाध्यक्ष

परिपत्र

विषय :- राजकीय विभागों द्वारा राजस्थान संवाद के माध्यम से जारी किये जाने वाले सजावटी विज्ञापनों की प्रक्रिया के संबंध में।

समस्त राजकीय विभागों के सजावटी विज्ञापन राजस्थान संवाद के माध्यम से ही जारी किये जाते हैं। इस बाबत पूर्व जारी किए गए निर्देशों की निरंतरता में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(1) विज्ञापन हेतु कार्यादेश (work order) दिया जाना

- ix. समस्त राजकीय विभागों द्वारा समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में जारी किये जाने वाले सजावटी विज्ञापन के कार्यादेश के साथ अनुमोदित विज्ञापन का डिजाईन (Design) एवं आकार (Size) तीन प्रतियों में एवं सॉफ्ट कॉपी सहित प्रबंध निदेशक, राजस्थान संवाद को प्रेषित किया जावेगा।
- x. अनुमोदित विज्ञापन की साफ्ट कॉपी राजस्थान संवाद की ई-मेल आई डी. classified.samwad@gmail.com पर भी प्रेषित की जा सकती है।
- xi. इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (TV, FM Radio आदि) में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन के कार्यादेश के सहित समय अवधि भी अंकित की जावेगी। विज्ञापन की सीडी कार्यादेश के साथ संलग्न की जावेगी।
- xii. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन राजस्थान संवाद में एमपेनलड विज्ञापन एजेन्सी (Empanelled Advertising Agency) के मार्फत से प्रेषित किये जा सकेंगे।
- xiii. प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन के साथ सम्बन्धित विभाग मीडिया प्लान (Media plan) संलग्न करेगी जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि विज्ञापन का प्रकाशन किस स्तर (राष्ट्रीय/राज्य/संभागीय/जिला स्तरीय) एवं प्रति स्तर के समाचार पत्रों की कितनी संख्या वाले में किया जाना है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण हेतु किस स्तर (राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय) एवं कितनी संख्या के चैनल का भी उल्लेख किया जावेगा। संबंधित विभाग किन समाचार पत्रों/पत्रिकाओं/चैनल में उस विज्ञापन का प्रकाशन/प्रसारण चाहता है, का भी उल्लेख कर सकता है। प्रकाशन/प्रसारण की दिनांक का भी स्पष्ट उल्लेख मीडिया प्लान में होगा।
- xiv. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विज्ञापन राजस्थान संवाद को प्रकाशन/प्रसारण हेतु नियत तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व प्रेषित कर दिये जाये।

AS
30/9/2014

